

27/04/17
25



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
परिवहन मार्ग, जयपुर - 302001

क्रमांक:-एफ(91)/श्रम/सामा. 11/2017/185

दिनांक:- 27-4-17

कार्यालय-आदेश

श्रम विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ने प्रेस विज्ञप्ति क्रमांक एफ13(1)श्रम/वि0/96/6677-6725 जयपुर, दिनांक 21.04.2017 जारी कर 01 मई "श्रमिक दिवस" के उपलक्ष में राज्य के समस्त औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थानों के नियोजकों से तथा राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबन्धकों से 01 मई, 2017 को सवैतनिक अवकाश घोषित करने की अपील की है ताकि श्रमिक वर्ग इस दिवस को सद्भावना एवं हर्षोल्लास के साथ मना सके।

अतः राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कार्यरत स्थाई आदेश 1965 से शासित कर्मचारियों के लिए दिनांक 01.05.2017 को "श्रम दिवस" के उपलक्ष में सवैतनिक अवकाश घोषित किया जाता है किन्तु इस अवकाश के कारण वाहन संचालन में कोई कमी नहीं की जावेगी, जिसके लिये आवश्यक स्टाफ को बुलाया जावेगा। ऐसे कर्मचारी जो 01.05.2017 को कार्य करेंगे उन्हें आगे चलकर उसकी एवज में अवकाश दे दिया जावेगा किन्तु इसकी एवज में कोई भुगतान नहीं किया जावेगा। जिन कर्मचारियों का दिनांक 01.05.2017 का साप्ताहिक अवकाश पड़ता है उन्हें इसके एवज में अलग से कोई अवकाश नहीं दिया जावेगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

107

(बी.एल.गोयल)

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

क्रमांक:-एफ (91)/मु./श्रम/सामा. 11/2017/185

दिनांक:- 27-4-17

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, श्रीमान अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक महोदय, रारापपनिगम, जयपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष () रारापपनिगम, जयपुर।
4. महा प्रबंधक (यातायात/वित्त/टायर/स्टोर) रारापपनि, जयपुर।
5. उप महा प्रबंधक (आई.टी), रापनिगम, मुख्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को निगम वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक, केन्द्रीय कार्यशाला,
7. मुख्य प्रबन्धक, रापनि,
8. आदेश/गार्ड पत्रावली।

25

(आर.के. तानान)

कार्यकारी प्रबन्धक (आई.आर.)